Ontario Health atHome

रोगी अधिकार विधेयक

एक रोगी, परिवार के सदस्य, वैकल्पिक निर्णयकर्ता या देखभालकर्ता के रूप में, आपको यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि ओंटारियो हेल्थ एटहोम का प्रत्येक कर्मचारी, बोर्ड सदस्य और अनुबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके निम्नलिखित अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करेगा:

1. आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और आपको शारीरिक, यौन, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक और वित्तीय दुर्व्यवहार से मुक्त रखा जाए।
2. आपके साथ इस तरह व्यवहार किया जाए जिससे आपकी गरिमा और निजिता का सम्मान हो, और जो निर्णय लेने में आपकी स्वायत्तता और भागीदारी को बढ़ावा दे।
3. आपके साथ इस तरह व्यवहार किया जाए जो आपकी व्यक्तिगत पहचान को मान्यता दे और जो आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील हो और उनका जवाब दे, जिसमें जातीय, आध्यात्मिक, भाषाई, पारिवारिक और सांस्कृतिक कारकों पर आधारित प्राथमिकताएँ शामिल हैं।
4. मानवाधिकार संहिता या कनाडाई अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर के अनुसार भेदभाव से मुक्त घरेलू और सामुदायिक देखभाल सेवाएँ प्राप्त करना।
5. प्रथम राष्ट्र, मेटिस या इनुक समुदाय से संबंधित किसी भी रोगी को सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित तरीके से घरेलू और सामुदायिक देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है।
6. अपनी गृह एवं सामुदायिक देखभाल सेवाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी उस प्रारूप में प्राप्त करना जो आपके लिए सुलभ हो।
7. अपनी आवश्यकताओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन, साथ ही अपनी देखभाल योजना के विकास और संशोधन में भाग लेना।
8. मूल्यांकन के दौरान आपके साथ उपस्थित रहने और आपकी देखभाल योजना के विकास, मूल्यांकन और संशोधन में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।
9. अपनी सेवाओं के समन्वय में सहायता प्राप्त करना।
10. किसी भी गृह एवं सामुदायिक देखभाल सेवा के प्रावधान के लिए सहमति देना या अस्वीकार करना।
11. हस्तक्षेप, दबाव, भेदभाव या प्रतिशोध के भय के बिना, आपको प्राप्त होने वाली सेवाओं और आपके हितों को प्रभावित करने वाली नीतियों और निर्णयों से संबंधित चिंताएँ व्यक्त करना या परिवर्तनों की सिफारिश करना।
12. इस रोगी अधिकार विधेयक सहित गृह एवं सामुदायिक देखभाल सेवाओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कानूनों, नियमों और नीतियों से अवगत होना, और आपको प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं से लिखित रूप में अवगत होना।